यह आप की मदद कर सकता है जब आप वोट (मत) देंगे।

पोलिंग अधिकारी से क्या कहें। वोटिंग टेबल पर अधिकारी को अपना पूरा नाम (पारिवारिक नाम तथा पहला नाम) और पता बताएं।
अधिकारी मतदाता सूची में देखकर पता करेगा कि आपका नाम उसमें है और आप वोट दे सकते/ती हैं। यदि आप चाहें तो यह बातें एक काग़ज़ पर लिख/प्रिंट कर सकते हैं और टेबल पर मौजूद अधिकारी को इसे दे दें।

मतदान–पत्र (Ballot Papers)
तब अधिकारी आपको एक मतदान–पत्र देगा।

मतदान–पत्र को मतस्थल में स्थित मतदान-कक्ष (voting booth) में ले जाएँ, जहाँ आप अपने मतों पर अकेले में निशान लगा सकते/ती हैं।

औपचारिक मतदान
औपचारिक मतदान के लिए आपको मतदान-पत्र में इंगित निर्देशों का पालन करना चाहिए।

बैलट पेटी/बक्स
जब आप बैलट पेपर्स पर निशान लगाना समाप्त कर लें तो उन्हें मोड़ दें जिससे के वोट देखा ना जा सके और बैलट पेपर्स को समुचित/सही बैलट पेटी में डालें जब आप पोलिंग स्थल को छोड़ रहे हों।

अनुपस्थित मतदान-निषेध
यदि मतदान के दिन आप अपने स्थानीय सरकारी क्षेत्र या वॉर्ड (काउँसिल में वॉर्ड होते हैं) से बाहर हों, तो आप मतदान नहीं कर सकते हैं। आपको उसी स्थानीय सरकारी क्षेत्र या वॉर्ड में अपना मतदान करना होगा, जिसमें आप अनुसूचित हों।

आपका नाम सूची में नहीं है
यदि आप का नाम सूची में नहीं है या पोलिंग अधिकारी की एक ग़लती से सूची में काट दिया गया है क्योंकि वोट पड़ चुका है फिर भी आप वोट देने के अधिकारी हैं और आप एक सेक्शन वोट (Section Vote) के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको एक लिफ़ाफ़ा दिया जायगा, जिसमें एक घोशणा है, जिसे अधिकारी आप के लिए भरेंगे और आप को हस्ताक्षर/दस्तख़त करने को कहेंगे। तब अधिकारी आपके हस्ताक्षर की गवाही करेंगे, अधिकारी लिफ़ाफ़ा अपने पास रख लेंगे और आपको बैलट पेपर्स देंगे। पूरा भरने के बाद बैलट पेपर्स को अधिकारी के पास वापस लाएं। अधिकारी मुड़े हुए बैलट पेपर्स को लिफ़ाफ़े में डालेगा, इसे बंद करेगा तथा मत पेटी में डाल देगा।

HINDI

गुप्त वोट

किसी को यह जानने का अधिकार नहीं है कि आपने कैसे वोट दिया है। कुछ मतदाताओं को यह परेशानी होती है कि एक लिफ़ाफ़े में उनके बैलट पेपर्स रखने से जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर करना है, से किसी व्यक्ति को उनके वोट के बारे में पहचानना संभव हो जाएगा।

केवल रिटर्निंग आफ़िसर (मतगणना अधिकारी) या एक नियुक्त अधिकारी और मतपत्र निरीक्षकों की उपस्थिति में यह लिफ़ाफ़े खोले जायंगे। इन बैलट पेपर्स के साथ बर्ताव के लिए विशेष निर्देश दिए हुए हैं जिसमें उनका लिफ़ाफ़े से निकालना और तुरंत एक मत पेटी में रखना सम्मलित है।

विशेष सहायता

जो लोग निर्देश लिख या पढ़ नहीं सकते हैं, या जो एक विकलांगता रखते हैं अपने साथ एक मित्र या संबंधी को वोट में सहायता के लिए प्रबंध कर सकते हैं। वे एक पोलिंग अधिकारी से भी सहायता के लिए पूछ सकते हैं।

ख़राब हो गए बैलट पेपर्स

यदि, ग़लती से या दुर्घटना से आपका बैलट पेपर ख़राब हो गया है तो इसे फाड़ें नहीं या फैंक न दें, बल्कि इसे पोलिंग अधिकारी के पास बदलने के लिए वापस ले जाएं।

क्या आपको सहायता की आवश्यकता है ?

यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो या आपको यह समझ न आए कि मतदान-पत्र पर निशान कैसे लगाया जाए, तो कृपया किसी मताधिकारी से पूछें।

टेलीफोन दुभाषिया सेवा

किसी भी भाषा में नि:शुल्क सहायता के लिए १३ १४ ५० पर दूरभाष से संपर्क करें।

ऑपरेटर मताधिकारी के साथ तीन व्यक्तियों के बीच वार्तालाप के लिए उपयुक्त भाषा में एक दुभाषिए का प्रबंध करेगा/करेगी और प्रश्नों के उत्तर आपकी अपनी भाषा में दिए जाएंगे।